संख्या-19-3389/86-2014-278/2011

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 14 नवम्बर, 2014

विषय- "उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2014" (यथासंशोधित) के अध्याय-2 के अन्तर्गत खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1288/एम-1 ए 15/2011, दिनांक 14-11-2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैतीसवां संशोधन) नियमावली, 2014" के नियम-9-क(ग)(चार) में प्राविधानित समाशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र के स्थान पर यदि पट्टा प्राप्त करने हेतु कोई आवेदक बैंक गारण्टी (पट्टा अवधि समाप्त होने से 6 माह बाद तक के लिये वैध), बैंक फिक्स डिपॉजिट अथवा एन0एस0सी0 (जिलाधिकारी के पक्ष में बन्धक) प्रस्तुत करता है तब उसे समाशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वीकार कर लिया जाय किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार प्रस्तुत किये गये बैंक गारण्टी, फिक्स डिपॉजिट रसीद, एन0एस0सी0 की न्यूनतम धनराशि रू0 5.00 लाख होगी।

2. कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 3389(1)/86-2014, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in